न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–29/19

1. विनोद कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति विश्नोई निवासी चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजूराम पुत्र श्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी 55 एफ. तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक 7 बीएलडी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. उपपंजीयक खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला ।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश **दिनांक :– 13.03.2020**

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि वादी व वादी के भाई रामकुमार ने प्रतिवादी सं0 1 से उसका रकबा वाके चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा कमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर–बराबर जरिये इकरारनामा दिनांक 07.05.2019 को एवज रूपये 19,00,000/– रूपये में सौदा बैय का कर सौदा की साई पेटे राशि 5,00,000/– रूपये प्रतिवादी सं0 1 ने नकदी प्राप्त कर लिये थे तथा बकाया राशि वर–वक्त बैयनामा पर देना तय हुआ था। उक्त भूमि में वादी के 1/2 हिस्सा भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में दिनांक 17.07.2019 को कराने का करार किया था तथा इकरारनामा की दिनांक को ही वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि कब्जा वादी को करवा दिया गया था। तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एवं हम काश्त कर रहे है। मुताबिक इकरारनामा प्रतिवादी सं0 1 ने जानबूझकर बईमानी से टाल–मटोल करते रहे। अब प्रतिवादी सं0 1 कृषि भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते है।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील प्रतिवादी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद इस न्यायालय के श्रवणीय अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 बतौर टीनेन्ट भूमि पर काबिज है। वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 तथ्य स्पष्ट रूप से अस्वीकार है और कृषि भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। वादी द्वारा वाद पत्र के जरिये इकरारनामा की पालना बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा है और धारा 92ए में अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का पूर्ण क्षेत्राधिकार है और मौके पर कब्जा नहीं होना जो बताया है वह अस्वीकार है । क्योंकि प्रथमतः कब्जा होना या नहीं होना आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रीव्यू में नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 25.07.2019 को वादी द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12. 04 बीघा कमाण्ड भूमि में आकर बेदखल करने की धमकी दी, उसी के आधार पर वादी को वाद लाने का अधिकार हासिल हुआ। वादी ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 17.07. 2019 को विधिक रूप से खरीद की हुयी भूमि पर कब्जा और काश्त किया है। आज भी वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जो धारा 92 (ए) आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत आता है। इसलिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल नहीं किया जावे। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने जरिये ईकरारनामा वादगत कृषि भूमि चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा भूमि कमाण्ड/ अनकमाण्ड जरिये ईकरारनामा वादी एवं वादी के भाई ने प्रतिवादी सं0 1 से खरीद की है। ईकरारनामा की पालना का वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद–पत्र क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक **13.03.2020** को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:19:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: